न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 07 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जालाराम पुत्र श्री अगड़ाराम 2. जीवाराम पुत्र श्री अगड़ाराम 3. पप्पाराम पुत्र श्री वैनाराम 4. पेमाराम पुत्र श्री वैनाराम 5. भंवराराम पुत्र श्री वैनाराम 6. महेन्द्र पुत्र श्री अगड़ाराम 7. मीरा देवी पुत्री श्री वैनाराम जातियान मेघवाल निवासी गांव मोगड़ा कल्ला, तहसील लुणी जिला जोधपुर		1. श्रीमती खम्मी देवी पुत्री श्री सालगराम 2. टमु पत्नी श्री सालगराम 3. वागाराम पटेल पुत्र श्री सालगराम 4. सावल पटेल पुत्र श्री सालगराम जातियान पटेल, निवासी गांव मोंगड़ा कल्ला तहसील लुणी जिला जोधपुर। 5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

प्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की ओर से :– अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई एवं गोपाल मेघवाल

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से:– अधिवक्ता श्री धनराज चौधरी, अनिल राठी।

दिनांक :–

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 30, रकबा 0.2752 एवं खसरा संख्या 91 रकबा 0.8741 में माननीय न्यायलय के समक्ष एक मुल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुत कर साथ ही ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा संख्या 96, 29, एवं 92 की भूमि में मूल प्रकरण के निस्तारण तक स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 29 रकबा 0.4694 हैक्टेयर एव खसरा संख्या 92 रकबा 0.5585 हैक्टेयर भूमि में संयुक्त खातेदार है जो कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा दिनांक 06.09.2024 से स्पष्ट है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें की ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 96, 29, 92 में मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक भूमि के किसी भी हिस्से में अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ओर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 05.02.2025 को अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता धनराज चौधरी एवं अनिल राठी ने अपना वकालत नामा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लैम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया की प्रार्थीगण ने पूर्ण रूप से गलत व बेबुनियाद आधारों पर प्रार्थना पत्र स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, एवं गलत आधारों पर आधारित होने से खरिज किए जाने योग्य है। अप्राथीगण किसी भी गैरकानूनी तरीके को अंजाम नहीं दिया है और न ही देना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अपने मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में गलत रूप से यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा की माठ को तोड़कर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थीगण की खसरा संख्या 91 की उत्तर दिशा की भूमि का कुछ हिस्सा अप्रार्थीगण की भूमि मे दबाव हुआ हो, खसरा संख्या 91 के नक्शा में भूमि की सीमा तिरछी अंकित हो व अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि को दबाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण की भूमि अपने हिस्से में दबाकर मौके पर प्रार्थीगण के रकबे को कम कर सीमा लाईन अपने हिस्से में दबाकर मौके पर प्रार्थीगण के रकबे को कम कर सीमा लाईन को सीधा करने हेतु आमदा हो। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 92 पर विधिवत रूप से काबिज हैं और रेकर्डेड खातेदार–काश्तकार की हैसियत से अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करे रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की किसी भूमि या उसके किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, न ही राजस्व नक्शे में स्थित किसी तिरछी लाईन को सीधा करने हेतु आमदा है एवं विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के अनुसार यानि धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम के अन्तर्गत प्रार्थीगण अपने आवेदन के माध्यम से कब्जा व राजस्व नक्शे में दुरस्ती की इस्तदुआ क्लेम नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य खेतों की सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है, सभी के खेतों में पीढीओं से माठ बनी हुई और सभी खातेदार अपने कब्जे व काश्त की भूमियां का उपयोग–उपभोग कर रहे है तथा येन–केन प्रकारेण तंग व परेशान करने की बद्नियती से मूल प्रार्थना पत्र व उसके साथ यह स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया है, जो किसी भी रूप में खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि या अपनी भूमि की सीमा से आगे बढ़कर प्रार्थीगण के खेतों की माठ को तोड़कर अतिक्रमण किया हो। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की भूमि को दबाने का या उस पर पक्का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अपने आस–पास के किसी भी खातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि मौके पर विवाद हो। अतः अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का पूरा आधार ही गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत आधारों एवं तथ्यों के आधार पर होने के कारण प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य खेतों की सीमाओं को लेकर कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है तथा सभी के खेतों में पीढीओं से माठ बनी हुई है। सभी खातेदार अपने कब्जे व काश्त की भूमियां का उपयोग–उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि या अपनी भूमि की सीमा से आगे बढ़कर प्रार्थीगण भूमि में अमिक्रमण से संबधित कोई भी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को दबाने का या उस पर पक्का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अपने आस–पास के किसी भी खातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि मौके पर विवाद हो। प्रार्थीगण द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र एंव स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,

सरासर मनगढत प्रतीत होते है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नही करवाकर केवल येनकेन अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है। वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 तक सयुक्त खातेदार है उपरोक्त परिस्थितियो में सह खातेदार को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन उचित नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारीज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी